



# भारत का राजपत्र

# The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)

PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 276]

नई दिल्ली, मंगलवार, अप्रैल 11, 2017/चैत्र 21, 1939

No. 276]

NEW DELHI, TUESDAY, APRIL 11, 2017/CHAITRA 21, 1939

वित्त मंत्रालय

(राजस्व विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 11 अप्रैल, 2017

सं. 12/2017-सीमा शुल्क (एडीडी)

सा.का.नि. 343(अ).— जबकि “लीनियर एल्किल बेंजीन” (एतदपश्चात विषयगत वस्तु के रूप में उल्लिखित) जो सीमा शुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 (1975 का 51) (एतदपश्चात सीमा शुल्क टैरिफ अधिनियम के रूप में उल्लिखित) की प्रथम अनुसूची के टैरिफ मद 38170011 के अंतर्गत वर्गीकृत हैं और जो ईरान, कतर और चीन जनवादी गणराज्य (एतदपश्चात विषयागत देशों के रूप में उल्लिखित) में मूलतः उत्पादित अथवा वहां से भारत में आयातित है के मामले में पदनामित प्राधिकारी भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग-I, खंड-1 में प्रकाशित अधिसूचना सं. 14/20/2015-डीजीएडी, दिनांक 6 मार्च, 2017 के जरिए अपने अंतिम निष्कर्षों में इस निष्कर्ष पर पहुंचे कि-

- (1) संबद्ध देशों से संबद्ध उत्पाद का पाठन हो रहा है;
- (2) संबद्ध देशों से आयात घरेलू उद्योग की कीमतों में कटौती और कीमत ह्रास कर रहे हैं;
- (3) बाजार के हिस्से और लाभ प्रदाता के रूप में घरेलू उपयोग के कार्यनिष्पादन में गिरावट आई है;
- (4) पाटित आयातों के कारण घरेलू उद्योग को क्षति हुई है।

जबकि पदनामित प्राधिकारी ने संबद्ध देशों से मूलतः उत्पादित अथवा निर्यातित विषयगत वस्तु तथा भारत में आयातित माल पर निश्चयात्मक प्रतिपाठन शुल्क लगाने की सिफारिश की, ताकि घरेलू उद्योग को क्षति से बचाया जा सके।

इसलिए अब सीमा शुल्क टैरिफ (पाइट वस्तुओं पर प्रतिपाठन शुल्क की पहचान, उसका मूल्यांकन तथा संग्रहण और क्षति निर्धारण) नियमावली, 1995 के नियम 18 और 20 के साथ पठित सीमा शुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 (1975 का 51) की धारा 9क की उपधारा (1) और (5) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्र सरकार पदनामित प्राधिकारी के उपर्युक्त निष्कर्षों के आधार पर एतद्वारा विषयगत माल, जिसका विवरण नीचे सारणी के कॉलम (3) में विविर्दिष्ट है और उक्त सीमा शुल्क टैरिफ अधिनियम की प्रथम अनुसूची के टैरिफ मद के अंतर्गत आते हैं, जो कॉलम (2) में सामने की प्रविष्टि में विविर्दिष्ट हैं, कॉलम (4) में सामने दी गई प्रविष्टि में विविर्दिष्ट देश में उद्धृत हैं और कॉलम (5) में सामने दी गई प्रविष्टि में विविर्दिष्ट देश से निर्यातित हैं और कॉलम (6) में सामने दी गई प्रविष्टि में विविर्दिष्ट उत्पादक द्वारा उत्पादित हैं तथा कॉलम (7) में सामने दी गई प्रविष्टि में विविर्दिष्ट निर्यातिक द्वारा निर्यातित हैं, और भारत में आयातित हैं, पर उक्त सारणी के कॉलम (9) में सामने दी गई प्रविष्टि में विविर्दिष्ट माप की प्रति यूनिट, कॉलम (10) में विविर्दिष्ट मुद्रा एवं कालम (8) में सामने दी गई प्रविष्टि राशि के समतुल्य प्रतिपाठन शुल्क दर लगाती है।

### सारणी

क्रस.	टैरिफ मद	वस्तु विवरण	उद्गम देश	निर्यात का देश	उत्पादक	निर्यातक	राशि	मापन की इकाई	मुद्रा
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
1	381700 11	लीनियर एल्किल बेंजीन	चीन जनवादी गणराज्य	चीन जनवादी गणराज्य	मै. जियांगशु जिनटुंग कैमिकल कॉर्पोरेशन लि.	मै. होटुंग कैमिकल कॉर्पोरेशन और मैसर्ज शार्पिनवेस्ट इंटरनेशनल लि.	23.78	मीट्रिक टन	अमरीकी डालर
2	381700 11	लीनियर एल्किल बेंजीन	चीन जनवादी गणराज्य	चीन जनवादी गणराज्य	मै. जियांगशु जिनटुंग कैमिकल कॉर्पोरेशन लि.	मै. जियांगशु जिनटुंग कैमिकल कॉर्पोरेशन लि.	147.11	मीट्रिक टन	अमरीकी डालर
3	381700 11	लीनियर एल्किल बेंजीन	चीन जनवादी गणराज्य	चीन जनवादी गणराज्य	उपरोक्त क्रमांक 6 और 7 में उल्लिखित से भिन्न कांकोई अन्य संयोजन		147.11	मीट्रिक टन	अमरीकी डालर
4	381700 11	लीनियर एल्किल बेंजीन	चीन जनवादी गणराज्य	संबद्ध देशों से भिन्न कोई अन्य देश जिसपर पाठनरोधी शुल्क नहीं लगता है	कोई	कोई	147.11	मीट्रिक टन	अमरीकी डालर
5	381700 11	लीनियर एल्किल बेंजीन	संबद्ध देशों से	चीन जनवादी	कोई	कोई	147.11	मीट्रिक टन	अमरीकी

			भिन्न कोई अन्य देश जिसपर पाटनरोधी शुल्क नहीं लगता है	गणराज्य					डालर
6	381700 11	लीनियर एल्किल बेंजीन	कतर	कतर	मै. सीफ लिमिटेड	मै. कतर कैमिकल और पेट्रोकैमिकल मार्केटिंग और डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी (मुंतजात) क्यूजेएससी, कतर	46.49	मीट्रिक टन	अमरीकी डालर
7	381700 11	लीनियर एल्किल बेंजीन	कतर	कतर	मै. सीफ लिमिटेड	मै. कतर कैमिकल और पेट्रोकैमिकल मार्केटिंग और डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी (मुंतजात) क्यूजेएससी, कतर और मै. रेनिश एफजेडई (व्यापारी)	46.49	मीट्रिक टन	अमरीकी डालर
8	381700 11	लीनियर एल्किल बेंजीन	कतर	कतर	उपरोक्त क्रमांक 6 और 7 में उल्लिखित से भिन्न कोई अन्य संयोजन		300.22	मीट्रिक टन	अमरीकी डालर
9.	381700 11	लीनियर एल्किल बेंजीन	कतर	संबद्ध देशों से भिन्न कोई अन्य देश जिसपर पाटनरोधी शुल्क नहीं लगता है	कोई	कोई	300.22	मीट्रिक टन	अमरीकी डालर
10.	381700 11	लीनियर एल्किल बेंजीन	संबद्ध देशों से भिन्न कोई अन्य देश जिसपर पाटनरोधी	कतर	कोई	कोई	300.22	मीट्रिक टन	अमरीकी डालर

			शुल्क नहीं लगता है						
11.	381700 11	लीनियर एल्किल बेंजीन	ईरान	ईरान	कोई	कोई	71.8	मीट्रिक टन	अमरीकी डालर
12.	381700 11	लीनियर एल्किल बेंजीन	ईरान	संबद्ध देशों से भिन्न कोई अन्य देश जिसपर पाटनरोधी शुल्क नहीं लगता है	कोई	कोई	71.8	मीट्रिक टन	अमरीकी डालर
13.	381700 11	लीनियर एल्किल बेंजीन	संबद्ध देशों से भिन्न कोई अन्य देश जिसपर पाटनरोधी शुल्क नहीं लगता है	ईरान	कोई	कोई	71.8	मीट्रिक टन	अमरीकी डालर

2. लगाया गया प्रतिपाटन शुल्क इस अधिसूचना के सरकारी राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से पांच साल तक की अवधि तक (जब तक कि इसके पहले इसको वापस नहीं ले लिया जाता है, इसमें संशोधन नहीं कर दिया जाता है और इसका अधिक्रमण नहीं किया जाता है) उद्गृहीत किया जाएगा और इसका भुगतान भारतीय मुद्रा में किया जाना होगा।

**स्पष्टीकरण:** इस अधिसूचना के प्रयोजन के लिए ऐसे प्रतिपाटन शुल्क की गणना के लिए लागू विनियम दर भारत सरकार, वित्त मंत्रालय (राजस्व विभाग) द्वारा समय-समय पर सीमा शुल्क अधिनियम, 1962 (1962 का 52) की धारा 14 में विनिर्दिष्ट है और विनियम दर के निर्धारण के सुसंगत तारीख वही तारीख होगी जो उक्त सीमा शुल्क अधिनियम की धारा 46 के अंतर्गत बिल में दी गई है।

[फा.सं. 354/208/2016-टीआरयू (भाग-1)]

मोहित तिवारी, अवर सचिव

## MINISTRY OF FINANCE

(Department of Revenue)

### NOTIFICATION

New Delhi, the 11th April, 2017

No. 12/2017-Customs (ADD)

**G.S.R. 343(E).**— Whereas in the matter of Linear Alkyl Benzene (hereinafter referred to as the subject goods) falling under tariff item 3817 00 11 of the First Schedule to the Customs Tariff Act, 1975 (51 of 1975) (hereinafter referred to as the Customs Tariff Act), originating in, or exported from, Iran, Qatar and People's Republic of China (hereinafter referred to as the subject countries), and imported into India, the designated authority in its final findings published in the Gazette of

India, Extraordinary, Part I, Section 1, *vide* notification No.14/20/2015-DGAD dated the 6<sup>th</sup> March, 2017, has come to the conclusion that—

- (i) there is dumping of subject goods from the subject countries;
- (ii) imports from subject countries are undercutting and suppressing the prices of the domestic industry;
- (iii) performance of domestic industry has deteriorated in the terms of market share and profitability;
- (iv) injury to domestic industry has been caused by dumped imports,

and has recommended imposition of definitive anti-dumping duty on the subject goods, originating in, or exported from the subject countries, in order to remove injury to the domestic industry;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-sections (1) and (5) of section 9A of the Customs Tariff Act, read with rules 18 and 20 of the Customs Tariff (Identification, Assessment and Collection of Anti-dumping Duty on Dumped Articles and for Determination of Injury) Rules, 1995, the Central Government, after considering the aforesaid final findings of the designated authority, hereby imposes on the subject goods, the description of which is specified in column (3) of the Table below, falling under the tariff item of the First Schedule to the Customs Tariff Act as specified in the corresponding entry in column (2), originating in the countries as specified in the corresponding entry in column (4), exported from the countries as specified in the corresponding entry in column (5), produced by the producers as specified in the corresponding entry in column (6), exported by the exporters as specified in the corresponding entry in column (7), and imported into India, an anti-dumping duty at the rate equal to the amount as specified in the corresponding entry in column (8) in the currency as specified in the corresponding entry in column (10) and as per unit of measurement as specified in the corresponding entry in column (9), of the said Table, namely:—

**TABLE**

S. No.	Tariff item	Description of goods	Country of origin	Country of export	Producer	Exporter	Amount	Unit of measurement	Currency
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
1.	3817 00 11	Linear Alkyl Benzene	People's Republic of China	People's Republic of China	M/s Jiangsu Jintung Chemical Corp. Ltd	M/s Hotung Chemical Corp. and M/s Sharpinvest International Ltd.	23.78	Metric Tonne	US Dollar
2.	3817 00 11	Linear Alkyl Benzene	People's Republic of China	People's Republic of China	M/s Jiangsu Jintung Chemical Corp. Ltd	M/s Jiangsu Jintung Chemical Corp. Ltd.	147.11	Metric Tonne	US Dollar
3.	3817 00 11	Linear Alkyl Benzene	People's Republic of China	People's Republic of China	Any combination other than at S.No.1 and 2 above.		147.11	Metric Tonne	US Dollar
4.	3817 00 11	Linear Alkyl Benzene	People's Republic of China	Any country other than those subject to	Any	Any	147.11	Metric Tonne	US Dollar

				anti-dumping duty					
5.	3817 00 11	Linear Alkyl Benzene	Any country other than those subject to anti-dumping duty	People's Republic of China	Any	Any	147.11	Metric Tonne	US Dollar
6.	3817 00 11	Linear Alkyl Benzene	Qatar	Qatar	M/s SEEFL Limited	M/s Qatar Chemical and Petrochemical Marketing and Distribution Company (Muntajat) Q.J.S.C., Qatar	46.49	Metric Tonne	US Dollar
7.	3817 00 11	Linear Alkyl Benzene	Qatar	Qatar	M/s SEEFL Limited	M/s Qatar Chemical and Petrochemical Marketing and Distribution Company (Muntajat) Q.J.S.C., Qatar and M/s Renish Petrochem FZE (Trader)	46.49	Metric Tonne	US Dollar
8.	3817 00 11	Linear Alkyl Benzene	Qatar	Qatar	Any combination other than at S.No. 6 & 7 above.		300.22	Metric Tonne	US Dollar
9.	3817 00 11	Linear Alkyl Benzene	Qatar	Any country other than those subject to anti-dumping duty	Any	Any	300.22	Metric Tonne	US Dollar
10.	3817 00 11	Linear Alkyl Benzene	Any country other than those subject to anti-dumping duty	Qatar	Any	Any	300.22	Metric Tonne	US Dollar
11.	3817 00 11	Linear Alkyl Benzene	Iran	Iran	Any	Any	71.8	Metric Tonne	US Dollar
12.	3817 00 11	Linear Alkyl Benzene	Iran	Any country other than those subject to	Any	Any	71.8	Metric Tonne	US Dollar

				anti-dumping duty					
13.	3817 00 11	Linear Alkyl Benzene	Any country other than those subject to anti-dumping duty	Iran	Any	Any	71.8	Metric Tonne	US Dollar

2. The anti-dumping duty imposed under this notification shall be effective for a period of five years (unless revoked, superseded or amended earlier) from the date of publication of this notification in the Official Gazette and shall be paid in Indian currency.

**Explanation.**—For the purposes of this notification, rate of exchange applicable for the purposes of calculation of such anti-dumping duty shall be the rate which is specified in the notification of the Government of India, in the Ministry of Finance (Department of Revenue), issued from time to time, in exercise of the powers conferred by section 14 of the Customs Act, 1962 (52 of 1962), and the relevant date for the determination of the rate of exchange shall be the date of presentation of the bill of entry under section 46 of the said Customs Act.

[F.No.354/208/2016-TRU (Pt.-1)]

MOHIT TIWARI, Under Secy.